बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–01–42 / 2016(स्वा0)...../ पटना, दिनांकः–.....

वरीय कोषागार पदाधिकारी, दानापुर के पत्राक–978 दिनाक–02.11.2015 द्वारा सूचित है कि डा0 साहू द्वारा 64 विपत्रो के माध्यम से 2,79,50,000/– एव डा0 चंद्रदीप कुमार द्वारा 03 विपत्र के माध्यम से 15,00,000/– रू० की अनियमित जी०पी०एफ० की निकासी करने तथा संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3672 दिनाक–04.05.2016 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना एवं रेफरल अस्पताल, पालीगंज में कार्यरत निकासी एव व्ययन पदाधिकारी एव लिपिक–सह–कोषागार संदेशवाहक द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से लेकर वित्तीय वर्ष 2015–16 गे कार्यरत पदाधिकारी एव कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से कुल रु0 4,31,68,000/–(चार करोड इकतीस लाख अडसठ हजार) रूपये मात्र की राशि निकासी कर गबन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. डा0 अर्जुन प्रसाद साहू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज व रेफरल अस्पताल, पालीगंज के विरूद्ध अधीनस्थ कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियो के भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से राशि की निकासी कर गबन करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–784(9) दिनाक–08.08.2016 द्वारा निलंबित करते हुए निलबन अवधि हेतु मुख्यालय क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया ।

3. डा0 साहू के विरूद्ध विभागीय सकल्प स0–998(9) दिनाक–27.09.2016 द्वारा सरकारी कर्मियों के भविष्य निधि खाते से अनियमित रूप से राशि की निकासी कर गबन करने के आरोप मे विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी। डा0 साहू को विभागीय सशोधित संकल्प स0–366(9) दिनांक–05.04.2018 द्वारा दिनाक–31.01.2018 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन विभागीय कार्यवाही जारी रखने का निर्णय ससूचित की गयी।

4. विभागीय सशोधित संकल्प स0–222(9) दिनांक–08.03.2018 द्वारा डा0 साहु के सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ0 साहु के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। विभागीय पत्राक–955(9) दिनांक–31.08.2018 द्वारा डा0 साहू से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी ।

डा0 साहू द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर में अकित है कि श्रीमती रीता दास/श्रीमती मुक्ति सिन्हा/श्रीमती मालती देवी, ए०एन०एम० का जी०पी०एफ० खाते से फर्जी राशि की निकासी होने की सूचना प्राप्त होने पर उनके पत्रांक–649 दिनांक–29.06.2015 द्वारा श्री सुमनकान्त सिन्हा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु स्थानीय थाना से अनुरोध किया गया। उनके द्वारा दिनांक–25.05.2015 को जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना से एवं दिनांक–29.05.2015 को कोषागार पदाधिकारी से अवैध निकासी के संबध में प्रतिवेदन की मॉग की गयी। डा0 साहू के हस्ताक्षर का कोषागार पदाधिकारी एवं बैक कर्मियों द्वारा विपत्र पर सही से मिलान नहीं किया गया। उनके भी जी०पी०एफ० खाते से 10,00,000/–रू० की अनियमित निकासी कर ली गयी है।

6. विषयगत मामले में दानापुर थाना काण्ड सं0–349/2015 दर्ज है, जिसमे विधि विभाग, बिहार के आदेश सं0–513/जे० दिनांक–07.11.2022 द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत की गयी है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 साहु के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन एवं उनके प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डा0 साहू द्वारा अधीनस्थ कर्मियों से बिना आवेदन प्राप्त किये भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम निकासी

31/12/2024

(15)

हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया। CTMIS Application के माध्यम से राशि के संव्यवहार करने में User ID एवं Password अत्यंत गोपनीय होता है। श्री सुमनकान्त सिन्हा, लिपिक के द्वारा User ID एवं Password का प्रयोग करने के तथ्य स्वीकारणीय योग्य नहीं है, क्योंकि DDO के मोबाईल पर OTP भेजा जाता है। OTP के प्रविष्टि के उपरांत ही विपत्र पारित करने की प्रक्रिया आगे बढती है। वित्तीय अनियमितता के उजागर के उपरांत संदेशवाहक एव आवटन पंजी फटा पाया गया, जबकि यह अभिलेख डॉ0 साहु के अभिरक्षा में होनी चाहिए थी। बैंक जमा पर्ची में डॉ0 साहु का हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप पारित विपत्र में अंकित नाम से इतर खाते में बैक द्वारा राशि को अंतरित किया गया। महालेखाकार कार्यालय द्वारा पारित विपत्रों की सूची सबंधित DDO को उपलब्ध करायी जाती है। इसके बावजूद उनके द्वारा आवटन पंजी से मिलान नही किया गया। कुछ सेवानिवृत कर्मियो के सेवान्त लाभ का भुगतान उनके खाते में नहीं होकर श्री सिन्हा, लिपिक के खाते मे जमा हो जाता था। इसपर सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा हंगामा किये जाने पर श्री सिन्हा के खाते से राशि सेवानिवृत कार्मेयो के खाते में भेज दी जाती थी। डॉ0 साहु द्वारा श्री सुमनकान्त सिन्हा के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किया गया। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दिया गया।

8. उक्त अधिरोपित शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की माँग की गयी। आयोग के पत्रांक–3460 दिनांक–10.12.2024 के द्वारा विभागीय प्रस्तावित शास्ति प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। फलतः डा0 अर्जून प्रसाद साहू के विरूद्ध अधीनस्थ कर्मियो के सामान्य भविष्य निधि खाते से कुल 2,79,50,000/– की अनियमित निकासी कर गबन करने के आरोप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेशन को राशि जब्त करने का विनिश्चय किया गया है।

9. आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक मे डॉ0 अर्जुन प्रसाद साहु, तत्कालीन उपाधीक्षक–सह–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मियो के खाते से अनियमित रूप से निकासी कर गबन करने के आरोप में अधिसूचना निर्गत की तिथि से उपदान सहित शत प्रतिशत पेशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं प्रसूचित किया जाता है।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः 9/आ0–01–42/2016(स्वा0) 1406(9) / **पटना, दिनांकः–** 31.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 अर्जुन प्रसाद साहु, तत्कालीन उपाधीक्षक–सह–प्रभारी चिकित्स पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अनुमण्डलीय अस्पताल, पालीगंज, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18Λ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31/12/2024
सरकार के अवर सचिव।

19.2.25